न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

136/2021
[illegible]एमएस : 2021/297

1. आईना पुत्री श्री सन्दीपकुमार जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ (राज.) जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी सुलोचना पत्नी श्री आत्माराम जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़। —:वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र श्री मनफूल जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
2. सन्दीपकुमार पुत्र श्री आत्माराम साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.।
3. माया पुत्री श्री आत्माराम पत्नी श्री हंसराज जाति जाट साकिन बालाराजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजं।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 23.07.2021

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री राजेश कुमार धारणियां अधि. वादिया।
2. श्री नरेन्द्र भादू अधि. प्रति.सं. 1 ता 3

दिनांक : 24.12.2024

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की सजरा नसल इस प्रकार है कि मनफूल मृतक के वारिस कृष्णलाल–मुखराम–गिरधारी–आत्माराम–गीता–गोमती–कमला थे आत्माराम के जायज वारिस सन्दीप व माया थे वादिया सन्दीप कुमार की पुत्री है प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाके चक लखाटिब्बा तहसील रायसिहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 खतौनी संख्या 33/356 मु.नं. 517 पं.नं. 239/285 में 1.341 है. बारानी भूमि व मु.नं. 90 पं.नं. 261/272 में 1.367 है. नहरी भूमि व 0.025 है. खाला कुल तादादी 2.733 है. नहरी बारानी मय खाला खातेदारी है जो भूमि उनकों उनके पिता श्री मनफूल पुत्र श्री घेरूराम के देहान्त के पश्चात बतौर विरासतन हासिल हुई थी। प्रतिवादी सं. 1 वादिया के दादा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीया के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादीया की भुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि उनके पिता श्री मनफूल के देहान्त के पश्चात बतौर विरासतन प्राप्त होने के कारण उनके नाम की उक्त सम्पति हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति है जिस भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा में 0.911 है. भूमि हिस्सा में आती है जो भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति की परिभाषा में आती हैं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति होने के कारण वादीया का प्रतिवादी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा तादादी 0.911 है. में 1/2 [illegible] 0.456 है भूमि विरासतन बनती है [illegible] की विधिक अधिकारी है। जिस भूमि की वादीया अपने आपकों खातेदार [illegible] में लड़ाई झगड़ा रखते है प्रतिवादी संख्या 2 शराबी [illegible] को लेकर वादीया व तथा उनके द्वारा इसी तरह [illegible] करने व [illegible] अब उसके पिता प्रतिवादी सं. 1 उसकी माता मीरादेवी को अपने [illegible] सारी जमीन को ने उसकों शरण दे रखी है तथा [illegible] जिसकी बाबत वादीया [illegible] बेच देगा, लेकिन वादीया को कोई हक व हिस्सा [illegible] पचायत की गई लेकिन प्रतिवा[illegible] मौतबीरान व्यक्तियों एवे रिश्तेदारों द्वारा काफी बार पचायत की गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त [illegible] पर उस पंचायत का कोई असर नही हुआ है। अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

खानदान की कोपासरी सम्पति में से वादीया का हिस्सा खत्म करने की नियत से उक्त तमाम भूमि को किसी अन्य के नाम बेचान करने की फिराक में है वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इस रवैया से तंग आकर 21.07.2021 को लखाहाकम में पंचायत करके उन्हे समझाया कि वादीया को उसके हक व हिस्सा की भूमि वादीया के नाम करवा दो तथा घर में ऐसा विवाद ना करों जिससें वादीया का पैदायशी हक हकूक समाप्त होता हो पंचायत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रथमतया टालमटोल करने के बाद एसा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादीया व मौतबीरान व्यक्तियों को पंचायत के समक्ष धमकी दी िकवे विवादित भूमि को जल्द ही किसी अन्या को बेचान करेंगें तथ कब्जा अन्यत्र हस्तारन्तरण करेंगें, अगर इसमें वादीया तथा उसकी माता ने कोई आनाकानी की तो वे उन्हे जान से भी खत्म करवा देंगे। जो यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है तथा बिनाय दावा वादीया को उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त होने से रोज से प्राप्त हैं अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होकर उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को रहन बेय अथवा बेचान करवा देते है तथा भूमि का कब्जा अन्यत्र सुपुर्द कर देत है तो इससें वादीया का पैदायशी हक समाप्त हो जावेगा। जिससें वादीया को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रांओं में नहीं किया जा सकेगा इसलिए वादीया उक्त भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर उक्त भूमि में वादीया अपने विरास्तन हिस्सा तादादी 0.456 है. भूमि की अपने आपकों खातेदार घोषित करवाने व उसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की विधिक रूप से अधिकारी हैं प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होकर अपने नाम की उक्त विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय अथवा हस्तान्तरण कर देते है तो इससें वादीया को ना पुरा होने वाला नुकशान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि जब तक उक्त भूमि में वादीया के हक व हिस्सा की भूमि की घोषणा नही की जाती है तथा उसके बाद उक्त भूमि में से अच्छी से अच्छी व खराब से खराब भूमि का विभाजन नहीं होता है तब तक प्रतिवादीगण इस भूमि के किसी भी भू भाग को रहन बैय अथवा हस्तान्तरण करने से बाज व ममून रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससें वादीया उक्त भूमि मे अपने पैदायशी हक हकूक व कब्जा काश्त से वंचित होती हो। प्रतिवादी संख्या 3 वादीया की सगी भुआ है जिनका भी विवादित भूमि में 1/32 हिस्सा बनता है इसलिए उनको आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर हाने के कारण उन्हे भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया ह ैउक्त वाद माननीय न्यायालाय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से फैसले एवं डिक्री फरमाया जावे कि चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 खतौनी संख्या 33/356 मुरब्बा नं. 517 प. नं. 239/285 में 1.341 है. बारानी भूमि व मु.नं. 90 पं.नं. 261/272 में 1.367 है. नहरी भूमि व 0.025 है. खाला कुल तादादी 2.733 हे. नहरी बारानी मय खाला भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति होने के कारण उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा तादादी 0.911 हे. भूमि में वादिया को 1/2 हिस्सा तादादी 0.456 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि की खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. नोटिस/सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ दिनांक 11.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की तरफ से श्री नरेन्द्र भादू अधिवक्ता ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र [illegible] नियम 7 व धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] व धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.10.2024 को स्वीकार किया जाकर पुनः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अदिश दिनांक 11.06.2024 [illegible] कियाज जाकर पैरवी किये जाने व प्रतिरक्षा किये जाने [illegible] फरमायी गई प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ दिनांक 11.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार पेश हो चुका है दिनांक 20.12.2024 को वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं व उनके अधिवक्तागण न्यायालय मे हाजिर आये। अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

...श कर निवेदन किया है कि वादीया नाबालिग आईना जरियें प्राकृतिक संरक्षक दादी सुलोचना पत्नी आत्माराम का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 आत्माराम पुत्र श्री मनफूल व सन्दीपकुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ व माया पुत्री श्री आत्माराम पत्नी श्री हंसराज जाति जाट साकिन बालाराजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के साथ आपसी राजीनामा हो चुका है तथा उक्त राजीनामा के मुताबिक वादीया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहती है तथा अनवान सदर का वाद मौजूदा सूरत में ही ड्रोप करवा देना चाहती है उक्त अनवान सदर के प्रकरण मे हम पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है तथा उक्त राजीनामा के मुताबिक प्रतिवादी सं. 1 आत्माराम के नाम की उक्त दावा की विषयवस्तु विरासतन सम्पति बाबत् प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा अपने पैदाईशी हक हकूक की घोषणा संबंधित कार्यवाही माननीय न्यायालय में की जाकर जब उनके हक हकूक की सम्पति का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड मे जो जायेगा। उसके बाद में प्रतिवादी सं. 2 सन्दीपकुमार अपने नाम आई सम्पर्ति मे वादीया के विरासतन हिस्सा की भूमि को एक महा अन्दर–अन्दर वादीया आईना के हिस्सा की विरासतन सम्पति वादीया आईना के नाम करवा देगा। चक लखाटिब्बा मु.नं. 90 के कि.नं. 4/4 की 0.127, 11/ 0.253 है. कुल 0.380 है. भूमि वादीया के नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाता है ता हम कोई एतराज नहीं है अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनवान सदर के प्रकरण में राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद की कार्यवाही हो मौजूदा सूरत में ही ड्रोप फरमाइ जाकर पत्रावली दाखिल दफतर की जावे। वादिया व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.12.2024 के राजीनामा के आधार पर फर्द अहकाम पर वादिय एवं प्रतिवादीगण से हस्ताक्षर करवाकर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादिया का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

–:आदेशः–

अतः वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–92ए–188–209 स्वीकार किया जाकर चक लखाटिब्बा मु.नं. 90 पं.नं. 261/272 के कि.नं. 4/4 की 0.127, 11/ 0.253 है. कुल 0.380 नहरी भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

---

136 / 2021

...एस : 2021 / 297

...आईना पुत्री श्री सन्दीपकुमार जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ (राज.) जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी सुलोचना पत्नी श्री आत्माराम जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़। —:वादी

बनाम

5. आत्माराम पुत्र श्री मनफूल जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.।

6. सन्दीपकुमार पुत्र श्री आत्माराम साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर नवसृजित जिला अनूपगढ़ राज.।

7. माया पुत्री श्री आत्माराम पत्नी श्री हंसराज जाति जाट साकिन बालाराजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजं।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक : 24.12.2024

—: निर्णय :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश कुमार धारणियां. नरेन्द्र भादू प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है. कि:– चक लखाटिब्बा मु.नं. 90 पं.नं. 261 / 272 के कि.नं. 4 / 4 की 0.127, 11 / 0.253 कुल 0.380 नहरी भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो भूमि के रहनमुक्त दर्ज होने पर ही निर्णय की पालना की जावे।

डिक्री आज दिनांक 24.12.2024 को जारी की गई।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner